(भारत के राजपत्र के भाग–I खंड 1 में प्रकाशनार्थ)
सं. 2–24/93–नीति निर्धारण–I
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115
दिनांक 28 मई, 2009

संकल्प

भारत सरकार ने इस विभाग के संकल्प संख्या 2–24/93–नीति निर्धारण–I दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 के द्वारा पुनर्गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित को शामिल करने का निर्णय लिया है:–

पंचायती राज मंत्री	–	संकल्प के अनुबंध के पैरा 3 के अंतर्गत भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में
सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	–	संकल्प के अनुबंध के पैरा 9 के अंतर्गत स्थायी आमंत्रिती के रूप में

2. युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को दो विभागों में बांट दिया गया है। अतः संकल्प के अनुबंध के पैरा 9(ii) को निम्नलिखित से बदला जा सकता है:–

1. सचिव, युवा कार्य विभाग – स्थायी आमंत्रिती के रूप में
2. सचिव, खेल विभाग – स्थायी आमंत्रिती के रूप में

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री विनोद रैना, पदेन सदस्य का संशोधित पता निम्नवत् है:–

श्री विनोद रैना,
ए–5, सुरेन्द्र एस्टेट,
चूनाभट्टी,
भोपाल–462016

4. उल्लिखित संकल्प का अनुबंध उपर्युक्त समेकनों/संशोधनों को लागू करने तक संशोधित रहेगा।

आदेश

यह आदेश किया जाता है कि संकल्प की एक प्रति जनसूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

(अमित खरे)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
एन.आई.टी. फरीदाबाद
(हरियाणा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषितः-

1. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्य
2. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, रेल भवन, नई दिल्ली
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
5. लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली
6. राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली
7. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार के सभी स्थायी आमंत्रिती
8. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
9. मंत्रालय के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त सांविधिक निकाय
10. सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र
11. गार्ड फाइल

(अमित खरे)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार